

न्यायालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल म.प्र.

–: सूचना :-

आज दिनांक 15/05/2020 को जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की सूची

–:: दाण्डिक प्रकरण ::–

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारगण	स्टेज	अधिवक्ता का नाम	रिमार्क
1		Nil			
2					

–:: सिविल प्रकरण ::–

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारगण	स्टेज	अधिवक्ता का नाम	रिमार्क
01.		Nil			
02.					


आदेशानुसार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल

14.05.20

Application Pending / Disposed off (Dated 14.05.2020)

Sr. No.	F.I.R. No./Case No.	Date of Filing	Name of Parties	Type of Application	Application Status
1	SPL 27/20	04.05.2020	Jitendra Malvi Vs. State	Release house	Disposed/ Rejected
2		12/05/20	Narendra & Others Vs. State	Bail	Disposed/ Rejected
3	Cr. No. 28/20	11/05/20	Dharmendra Vs. State	Vehicle Release	Disposed/ Allowed
4	Cr. No. 827/19	09/05/20	Mo. Arif Vs. State	Vehicle Release	List for 15.05.2020
5	Cr. No. 827/19	12/05/20	Sunil Vs. State	Vehicle Release	List for 15.05.2020
6	Cr. No. 109/19	12/05/20	Jitendra & Others Vs. State	Bail	List for 15.05.2020
7	SPL No. 41/20	12/05/20	YAshpal Vs. State	Bail	List for 15.05.2020

  
(Rakesh Mohan Pradhan)  
Special Judge, (SC/ST (PA) Act) Betul

न्यायालय : अनन्य विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,  
2012 बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक—..... / E.spl Court. (POCSOAct) / बैतूल

बैतूल, दिनांक 11.05.2020

**सूचना**

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 दिनांक 04 मई 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक 64 / / दो-12-11 / 2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 के अनुपालन में दिनांक 15.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	नियत दिनांक	अभियुक्त के अधिवक्ता	प्रकरण का प्रकार
01.	एस.टी. 83 / 2020	राज्य-विरुद्ध-सुनील उर्फ अजय	15.05.2020	श्री संजय पण्डोले 9755873803 7389236711	आपराधिक



(रेखा आर. चन्द्रवंशी)

अनन्य विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट

बैतूल (म.प्र.)


11.05.2020

पृ. क्रमांक—..... / E.spl Court. (POCSOAct) / बैतूल

बैतूल, दिनांक 11.05.2020

**प्रतिलिपि :-**

- (1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (2) श्रीमान अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चशपार्थ।
- (4) सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।



(रेखा आर. चन्द्रवंशी)

अनन्य विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट

बैतूल (म.प्र.)

11.05.2020

न्यायालय : अनन्य विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,

2012 बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)


क्रमांक—..... / E.spl Court. (POCSO Act) / बैतूल

बैतूल, दिनांक 11.05.2020

### सूचना

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 दिनांक 04 मई 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक 64 / / दो-12-11 / 2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 के अनुपालन में दिनांक 15.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	नियत दिनांक	अभियुक्त के अधिवक्ता	प्रकरण का प्रकार
01.	एस.टी. 83 / 2020	राज्य-विरुद्ध-सुनील उर्फ अजय	15.05.2020	श्री संजय पण्डोले 9755873803 7389236711	आपराधिक

  
(रेखा आर. चन्द्रवंशी)


अनन्य विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट  
बैतूल (म.प्र.)  
11.05.2020

पू.क्रमांक—..... / E.spl Court. (POCSO Act) / बैतूल

बैतूल, दिनांक 11.05.2020

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (2) श्रीमान अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चशपार्थ।
- (4)  सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

  
(रेखा आर. चन्द्रवंशी)

अनन्य विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट  
बैतूल (म.प्र.)  
11.05.2020

न्यायालय-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बैतूल जिला बैतूल(म.प्र.)

:- सूचना :-

दिनांक 15-05-2020 को अंतिम तर्क हेतु वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से सुने जाने हेतु प्रकरणों की सूची :-

सिविल प्रकरण

कं.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार	अधिवक्तागण के नाम
1	MACC 190/2015	शुभम विरुद्ध जनरल मेनेजर	1. श्री पंजाबराव पंवार 2. श्री अजय सिंह चौहान
2	MACC 197/2015	बसंत विरुद्ध रामसुयश	1. श्री पंजाबराव पंवार 2. श्री अजय सिंह चौहान
3	MACC 40/2018	रमेश विरुद्ध सोमलाल	1. श्री अशोक सिंह ठाकुर
4	RCA 105/2017	उस्मान विरुद्ध शंकुतला	1. श्री आर.के.बोरवन 2. श्री एच.एस.खंडेलवाल

दांडिक प्रकरण

कं.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार	अधिवक्तागण के नाम
1	CRA 113/2016	रामदयाल विरुद्ध शासन	1. श्री अंशुल गर्ग 2. श्री बी.आर.कुम्भारे एजीपी
2	CRA 12/2017	तरुण विरुद्ध शासन	1. श्री मदन हिरे 2. श्री बी.आर.कुम्भारे एजीपी
3	CRA 67/2018	राजेश विरुद्ध अनिल	1. श्री कपिल वर्मा 2. श्री गिरीश गर्ग
4	CRA 68/2018	अनिल विरुद्ध राजेश	1. श्री गिरीश गर्ग 2. श्री कपिल वर्मा

(अनुपस्थिति)  
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
बैतूल 10/05/2020

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के न्याया. के द्वितीय अतिरिक्त  
न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

—:: दिनांक—15.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम  
तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची ::—

क.	प्रकरण क.	पक्षकार का नाम	नियत दिनांक	अपीलार्थी के अधिवक्ता	गैर अपीलार्थी के अधिवक्ता
1.	आर.सी.ए. 400048 / 16	रमेश वि. सुपिरियल जनरल वगै.	15.05.20	श्री टी.आर. साहू	श्री कपिल वर्मा
2.	आर.सी.ए. 400124 / 16	संतरीबाई वगै. वि. शांतिलाल वगै.	15.05.20	श्री सुरेन्द्र मालवीय	श्री सुरेन्द्र चौधरी
3.	आर.सी.ए. 303003 / 16	विमलकुमार वि. भारतचंद रांका	15.05.20	श्री ए०के० हजारे	श्री रामकिशोर बोरबन
4.	सी.आर.ए. 120 / 17	अनिल वगै. वि. राज्य	15.05.20	श्री हनुमंत काले	अपर लोक अभियोजक
5.	सी.आर.ए. 531 / 16	मंशाराम वि. राज्य	15.05.20	श्री हीरामन सूर्यवंशी	अपर लोक अभियोजक
6.	सी.आर.ए. 116 / 16	शासन वि. तरुण	15.05.20	अपर लोक अभियोजक	श्री गुफरान खान

(ए.के. दंडेलिया)

प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के  
न्याया. के द्वितीय अति.न्यायाधीश  
बैतूल (म.प्र.)

**न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के  
न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)**

क्रमांक/79/IV-AJ to IASJ/2020

बैतूल, दिनांक 14 मई, 2020

**-:: सूचना ::-**

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 दिनांक 04 मई, 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक/64/दो-12-11/2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 के अनुपालन में आज **दिनांक 15-05-2020** को व्ही. सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	सिविल/आपराधिक
01.	CRA No. 38/2016	म.प्र.राज्य विरुद्ध संतोष व अन्य	दाण्डिक अपील
02.	CRA No. 500534/2016	पूरन व अन्य वि. म.प्र.राज्य	दाण्डिक अपील
03.	RCA No. 400129/2016	गोपाल वि. सुधान्या व अनय	सिविल अपील
04.	RCA No. 26/2017	बबलू व अन्य वि. मदनलाल व अन्य	सिविल अपील

**(राज कुमार गुप्ता)**

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल  
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त  
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/79/IV-AJ to IASJ/20  
प्रतिलिपि,

बैतूल, दिनांक 14 मई, 2020

- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकारगण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चशपार्थ।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

**(राज कुमार गुप्ता)**

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल  
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त

न्यायालय-दीनानाथ वास्तीवा,द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतल जिला बैतल म.प.

-:सूचना:-

दिनांक-14.05.2020 को जरिये वीडियो कॉन्फेंसिंग सुनवाई हेतु नियत प्रकरण की सूची

-:सिविल प्रकरण:-

क्र	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारगण	स्टेज	अधिवक्ता	का नाम	पेशी तारीख
1	एम.जे.सी क्र-13/2019	कलावती साहू-वि-महाप्रबंधक	आदेश 39 नियम 12 पर तर्क हेतु	श्री भारकर प्रताप	श्री हजारे श्री एस.सी जैन	15.05.2020

-:दांडिक प्रकरण:-

क्र	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारगण	स्टेज	अधिवक्ता	आदेश दिनांक	रिमार्क
1	27/2020	सुनीता-वि-शासन	तर्क	श्री अजयसिंह चौहान	15.05.2020	सुपुर्दनामा फती सुक्त्र के.डु

(दीनानाथ वास्तीवा)  
न्यायाधीश (द्वितीय व्यवहार)  
न्यायालय, बैतल (म.प.)  
14/5/2020



न्यायालय:- तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बैतूल (म.प्र.)  
क्रमांक / तृ.अ.जि.न्या. / 2020 मुलताई दिनांक 13/05/2020

### परिपत्र

विषय :- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक की जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक 15.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल एवं दांडिक प्रकरण रिकॉल (Recall) किये जाकर दिनांक 15.05.2020 को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्र.	सी.आई.एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न.	रिमार्क
१५			गिरस		

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क

13/05  
T-3000 (M.P.)

प्रस्तुत करे। यदि व अपने निवास एवं कार्यालय में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो व न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आन पर अन्तिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान साशत डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अतिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी [multai@mpnc.in](mailto:multai@mpnc.in) पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक **15.05.2020** को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण ग्रीष्मकालीन अवकाश में लिये गये, शेष आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक **12.06.2020** को उरी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।

(कृष्णदास महार)  
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
मुलतई, भूल (म.प्र.)

न्यायालय-अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला बैतूल

क्रमांक- सीजेएम/20 बैतूल

दिनांक-14.05.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,  
बैतूल

विषय:- दिनांक-15.05.2020 को नियत व्ही.सी.के माध्यम से सुनवाई योग्य प्रकरणों की जानकारी प्रेषित किए जाने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय विविध आदेश क्रमांक-64/दो-12-11/2014 बैतूल दि.-04.05.20।

माननीय महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि इस न्यायालय में लंबित दिनांक-15.05.2020 को नियत दांडिक, विविध कार्यवाही एवं सिविल प्रकरणों में से व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई योग्य निम्न प्रकरण है-

क	प्रकरण क/ अपराध क	थाना	पक्षकार	धारा	अधिवक्ता	रिमार्क
1	173/20	गंज	पिटू उर्फ पिंटा एवं संजय करोची	457,380 भादवि	श्री प्रकाश यादव	जमानत आवेदन तर्क/केस डायरी प्रतिक्षार्थ
2	233/20	सारणी	संतोष	457 दंप्रसं	श्री हीरामन सूर्यवंशी	केस डायरी प्रतिक्षार्थ/ तर्क
3	C.S No. 10A/15		शीला वि. गोपीकिसन	व्यव.वाद	श्री वीरेन्द्र साहू श्री बी.के. धारगा	अंतिम तर्क

14/5/20  
(अनीता खजुरिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय:- मंजूषा तेकाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भैंसदेही, जिला बैतूल म0प्र0

// परिपत्र //

क. / / 2020

भैंसदेही, दिनांक 14/05/2020

विषय: लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यपट्टेश के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 बैतूल दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में कॉज लिस्ट अनुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामले आगामी दिनांक 15.05.2020 को दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

क्र०	प्रकरण क्रमांक	सी0आई0एस 0 न0	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल नं०	रिमांक
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(मंजूषा तेकाम)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
भैंसदेही, जिला बैतूल



न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुलताई, जिला बैतूल म0प्र0

क्रमांक ...../प्र.न्या.न्या./2020

मुलताई, दिनांक 14.05.2020

परिपत्र

विषय:- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक की जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क, निर्णय हेतु नियत प्रकरणों में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक 14.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल या दांडिक प्रकरण रिकाल (Recall) किये जाकर दिनांक 14.05.2020 को प्रातः 02.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्र. प्रक. क्र.	सी. आई.एस. नंबर	पक्षकार का नाम	अधिवक्ता का गोवाइल नंबर	रिगार्ड नाम
1.	340/19 943/19	राज्य वि0 क्षमादार	श्री विनोदसिंग 9406932675	ठाकुर

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो तो वे न्यायालय परिसर में स्थिति विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के

निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-सी [multai@mphc.in](mailto:multai@mphc.in) पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 14.05.2020 को नियत सभी आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 12.06.2020 को उररी प्रकृम पर सुनवाई में लिये जावेगे।

  
(कमला गौतम)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश  
वर्ग-2 मुलताई, जिला बैतूल

न्यायालय:- मंजूषा तेकाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भैंसदेही, जिला बैतूल म0प्र0

// परिपत्र //

क. / / 2020

भैंसदेही, दिनांक 14/05/2020


विषय: लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक व्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 बैतूल दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत किमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में कॉज लिस्ट अनुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामले आगामी दिनांक 15.05.2020 को दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

क्र0	प्रकरण क्रमांक	सी0आई0एस 0 न0	प्रकार नाम	अधिकृत नाम	मांवाइल न0	रिमांक
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

  
(मंजूषा तेकाम)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
भैंसदेही, जिला बैतूल